न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या : 08/2024 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति
अनवान मुकदमा :–
राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
–प्रार्थी

बनाम

बृजलाल पुत्र रिडमल जाति बिश्नोई रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
–अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री अर्जनलाल वर्मा वकील –प्रार्थी
श्री बलराम कस्वां वकील अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 19.7.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2016 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थी चक नं. 4 केडब्लयूडी तहसील रावतसर का निवासी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि चक 4 केडब्लूडी के प.न. 165/395 (24) की किला नं. 4,5,6,7, 14, 15, 16, 25 की कुल कृषि भूमि 1.897 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थी बृजलाल की कृषि भूमि चक 4 के डब्ल्यू डी के प.नं. 165/395 किला नंबर 2,8,9,12,13,17 ता 19, 20 ता 24 की 3.2390 हैक्टर व प. नं. 165/396 किला नंबर 2 व 3 की 0.5060 हैक्टर भूमि है। प्रार्थी चक 4 के डब्ल्यू डी की भूमि में आने जाने के लिए स्वीकृत शुद्धा रास्ता उतर से दक्षिण से अप्रार्थी अपने चक 4 डब्ल्यू डी के प.नं. 165/395 किला नंबर 21 ता 24 की प्रत्येक किला की 0.013 हैक्टर पश्चिम से पूर्व दक्षिणपासा चालू रास्ता है जो प्रार्थी का चालू एवं सुलभ रास्ता है। इस रास्ता का मौके पर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। इस रास्ता के बदले अप्रार्थी को बदले में कृषि भूमि दे रखी है लेकिन अप्रार्थी उक्त रास्ता का बन्द करने की धमकी दे रहा है। इसलिए प्रार्थी चक 4 के डब्ल्यू डी के प.नं. 165/395 किला नंबर 21/.013, 22/ .013, 23/.013, 24/.013 हैक्टर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पासा पर चालू रास्ता है उक्त रास्ता को मन्जूर करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी का जबाब लिया जाकर व तहसीलदार रावतसर से मौका रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 30.12.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। निर्णय दिनांक 30.12.2016 के खिलाफ प्रार्थी ने श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। श्रीमान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 14.02.2024 को निर्णय करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि रास्ता स्वीकृति के प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में राज0 टिनेन्सी(सरकारी नियम) 1955 के नियम 69 भू0अ0 की रिपोर्ट प्राप्त कर आपत्तियों को [illegible] हेतु नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज र[illegible] राजस्व रावतसर से रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार रावतसर ने अपने पत्रांक 136 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

के नाम भूमि है। वर्तमान में प्रार्थी अस्थाई रूप से पड़ौसी काश्तकारों के खेत से आवागमन करता है एवं अप्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के निकटतम रास्ता गै.मु. प.नं. 165/395 मु.नं. 24 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0.025 है. दर्ज रिकार्ड है व मौके पर चालु है। प्रार्थी के खेत से गुजरने वाले समस्त कटानी रास्तों में से कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्थित रास्ते से आसानी रहेगी। रास्ता दिया जाना नियमानुसार आवश्यक है। प्रार्थी के पास स्थाई रूप से कोई विकल्प नहीं है।"

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है तथा तहसीलदार रावतसर द्वारा रिपोर्ट रिपोर्ट में दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के लिये सुविधाजनक व निकटतम रास्ता है जिसे राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन स्वीकृत किया जावे।

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रार्थी का कभी भी अप्रार्थी के खेत से आवागमन नहीं रहा है। प्रस्तावित रास्ता जो तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है तथा प्रार्थी जिसे स्वीकृत करवाना चाहता है उससे अप्रार्थी का खेत दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार रावतसर की रिपोर्ट आदि से जाहिर होता है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है तथा तहसीलदार रावतसर द्वारा रिपोर्ट में दर्शाया गया रास्ता ही प्रार्थी के खेत के निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 4 केडब्ल्यूडी के प.नं. 165/395 मु.नं. 24 कि.नं. 21 ता 24 के दक्षिणी पासा पर पश्चिम से पूर्व लम्बाई में प्रत्येक किला में 0.013 है. भूमि को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. दर से दोगुना राशि अदा करेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 19.7.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
निदेशक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर